(21)

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0राजस्व मण्डल ग्वालियर

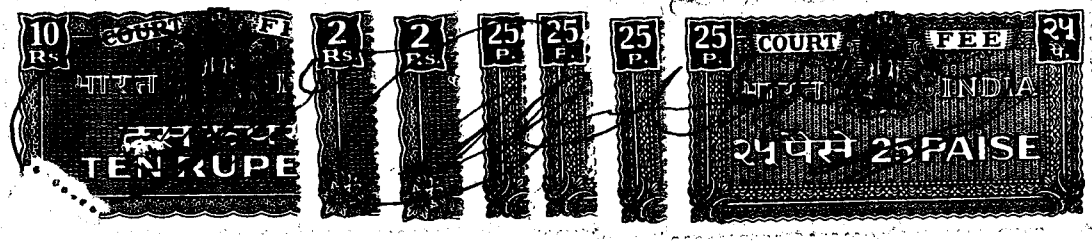

श्री दानी प्रसाद तनय केशव मिश्रा निवासी ग्राम कम्हरिया तह0 सिरमौर उप तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 ---- आवेदक

बनाम

R. 1486-I/2001

§1§ रामलाल तनय वंशपति प्रसाद } वंशपति निवासी सेमरिया तह0
§2§ श्रीमती जग्गी विधवा पत्नी } सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

------ अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री अपर कमिश्नर रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 बाबत राजस्व प्रकरण क्रमांक 47/निगरानी/99-2000 आदेश दिनांक 8/8/2001

....

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

....

त्रिभुवन प्रसाद चतुर्वेदी एडवोकेट

13.8.01

त्रिभुवन प्रसाद चतुर्वेदी ... को प्रस्तुत।
आज दि0 13.8.01

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
13 AUG 2001

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

§1§ यह कि माननीय अपर जिलाध्यक्ष रीवा का आदेश दिनांक 14-9-200[0] एवं अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा का आदेश दिनांक 1-8-2001 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

§2§ यह कि माननीय तहसीलदार सिरमौर के आदेश दिनांक 27-1-98 के विरुद्ध जो आदेश धारा 115 म0प्र0भू-राजस्व संहिता के अधीन पारि[त] किया गया था, उसके विरुद्ध अनावेदकगण ने माननीय अपर जिलाध्यक्ष रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किया गया था, जो निगरानी दिनांक 14-9-2000को बिना आवेदक को सूचना व सुनवाई के ही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1486–एक/2001 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–03–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या कब्जा इन्द्राज का आदेश तहसीलदार द्वारा दिया जा सकता है? प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति, निगरानी मेमो एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार द्वारा मात्र पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के पक्ष में कब्जा इन्द्राज संबंधी पारित आदेश को अपर कलेक्टर ने निरस्त किया है। आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष कब्जा इन्द्राज हेतु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जबकि संहिता की धारा 116 में कब्जा इन्द्राज नहीं किया जा सकता। आवेदक का मुख्य रूप से तर्क है कि आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपर कलेक्टर ने तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया है। अपर कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त ने हस्तक्षेप योग्य नहीं पाते हुये यथावत रखा है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	